कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वाह्य न्यायालय, सैदपुर, गाजीपुर में निष्प्रयोज्य आवासीय भवन (अधिकारी श्रेणी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) को ध्वस्त करने तथ मलवा हटाने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारो से सील. बन्द निविदाऐ दिनांक 25.04.2016 को अपरान्ह 4.00 बजे तक केन्दीय नजारत में आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 26.4.2016 को नीलामी समिति के समक्ष खोली जायेगी।

संबंधित फर्म/ठीकेदार उपरोक्त निष्प्रयोज्य आवासीय भवनो का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे सायं तक कार्यस्थल पर जाकर कर सकते है।

निविदा हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं :–

1– प्रत्येक निविदा दाताओ को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2– निविदा दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित संरचनाओ की भली भॉति पहचान व निरीक्षण कर ले।
3– प्रत्येक निविदा दाताओ को रू0 20,000/– की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा।
4– निविदा केवल भवन एवं उसमें लगी अचल वस्तुओ के लिए ही है। फर्नीचर, फिक्स्चर्स, चल सम्पत्ति आदि इसमें सम्मिलित नहीं हैं। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
5– समस्त निविदा दाताओ को सभी नियम एवं शर्तो के पालन का धोषणा पत्र देना होगा।
6– यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खज़ाना/दुर्लभ वस्तुए प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग/सरकार का होगा।
7– भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
8– भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियो की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदा दाता/फर्म/व्यक्ति की होगी।
9– भवन को तोड़ते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
10– किसी भी उच्चतम निविदा को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास सुरक्षित है।
11– उच्चतम निविदा को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन उपरान्त ही अमल में लायी जायेगी और जो भी शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे मानना बाध्यकारी होगा।
12– निविदा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा।
13– अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर निविदा रद्द की जा सकती है।
14– अन्य कोई भी शर्त जो समिति द्वारा घोषित की जायेगी उसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

6/4/16

दिनांक–06.04.2016

(रोहिताश सिंह गंगवार)
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
06.04.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :–

1– सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
2– सम्पादक, समाचार पत्र जनवार्ता को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे अगले अंक में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3– सम्पादक, समाचार पत्र तरूण मित्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे अगले अंक में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

4– जिलाधिकारी, गाजीपुर।
5– पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
6– अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
7– जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
8– तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर
9– विकास भवन, गाजीपुर।
10–केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
11–नजारत, वाह्य न्यायालय मु0 बाद, गाजीपुर।
12–नजारत, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।

6/4/16

(रोहिताश सिंह गंगवार)
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
06.04.2016